NPT की 55वीं वर्षगाँठ

5 मार्च, 2025 को परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के 55 वर्ष पूरे हो गए।

- इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा **12 जून, 1968** को अनुमोदित किया गया तथा यह संधि **5 मार्च, 1970** को **लागू हुई**।
- **NPT:** यह परमाणु हथियार संपन्न राज्यों (NWS) के लिये निरस्त्रीकरण तथा **शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा उपयोग** को बढ़ावा देने के लिये **एकमात्र बहुपक्षीय बाध्यकारी संधि** है।
- **प्रमुख प्रावधान:** इसमें **NWS को 1 जनवरी, 1967** से पहले परमाणु हथियार रखने वाले देशों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, चीन और USSR/रूस) के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - **गैर-परमाणु राज्य** परमाणु हथियार **विकसित न करने** पर सहमत होते हैं, जबकि परमाणु राज्य **उन्हें हस्तांतरित न करने की प्रतिज्ञा** करते हैं।
  - इसमें परमाणु ऊर्जा के **शांतिपूर्ण उपयोग** का प्रावधान किया गया है तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने पर **वापसी का विकल्प** भी प्रदान किया गया है।
- **सदस्यता:** 5 NWS (अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्राँस और चीन) के साथ **191 सदस्य**।
  - भारत इसका **सदस्य नहीं** है।
- **अनुवीक्षण:** अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) इसके अनुपालन का अनुवीक्षण करता है।
- **भारत और NPT:** भारत **NPT का विरोध** करता है और इसके अनुसार यह **भेदभावपूर्ण** है, क्योंकि इसके अंतर्गत **पाँच देशों** के लिये परमाणु हथियार को **न्यायसंगत** बनाया गया है, जबकि अन्य देशों को इससे वंचित रखा गया गया है।
  - भारत "पहले प्रयोग नहीं" (NFU) नीति का पालन करता है और **वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण** के लिये प्रतिबद्ध है।

//

Drishti IAS

परमाणु हथियारों के खिलाफ संधियाँ

भाग– I

परमाणु हथियार

- पृथ्वी पर सबसे खतरनाक हथियार; **एक ऐसा बम या मिसाइल जिसमें विस्फोट के लिये परमाणु ऊर्जा का उपयोग** किया जा सकता है।
- परमाणु हथियार या तो **परमाणु विखंडन (परमाणु बम)** या **परमाणु संलयन (हाइड्रोजन बम)** द्वारा ऊर्जा निर्मुक्त जारी करते हैं।
- केवल एक परमाणु हथियार भी इतना शक्तिशाली होता है कि वह **एक पूरे शहर को नष्ट करने**, संभावित रूप से **लाखों लोगों को मारने, प्राकृतिक पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को खतरे में डालने की क्षमता** रखता है।
- **द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान** वर्ष 1945 में अमेरिका द्वारा **पहली और आखिरी बार** इनका इस्तेमाल **हिरोशिमा और नागासाकी पर** किया था।

परमाणु हथियार अप्रसार संधि (NPT 1970)

- **उद्देश्य**
  - *परमाणु हथियारों और इसकी तकनीक के प्रसार को रोकना*
  - *परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना*
  - *परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाने*
- **सदस्य देश**
  - *सदस्यों की संख्या 191 जिसमें **पाँच परमाणु हथियार संपन्न देश** (NWS)– अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्राँस और चीन भी शामिल हैं*
- **परमाणु हथियार संपन्न देश**
  - *जिन्होंने **1 जनवरी, 1967 से पहले** परमाणु हथियार या परमाणु विस्फोटक उपकरण का **निर्माण और विस्फोट** किया*
- **महत्त्व**
  - *परमाणु संपन्न देशों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिये **एकमात्र बाध्यकारी संधि***
- **भारत और परमाणु अप्रसार संधि**
  - ***भारत** (पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान के साथ) **सदस्य नहीं है***
  - *भारत एक **भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण नीति** के रूप में इसका विरोध करता है*
  - *भारत की नीति– परमाणु हथियार संपन्न देशों के खिलाफ पहले उपयोग नहीं और गैर–परमाणु संपन्न देशों के खिलाफ कोई उपयोग नहीं (No First Use against NWS and no use against non–NWS)*
- **NPT समीक्षा सम्मेलन**
  - ***संधि के कार्यान्वयन की पंचवर्षीय समीक्षा** करता है*

और पढ़ें: परमाणु नरिसत्रीकरण

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/55th-anniversary-of-npt